गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

Koni, Bilaspur (C.G.) 495009; Sebsite : www.ggu.ac.in

छात्रावास परिसर में मेस मैनेजर द्वारा मेस संचालित करने के लिए मेस की नियम एवं शर्तें

01. छात्रावास की छात्राओं की एक मेस समिति होगी। मेस संचालक द्वारा संचालित मेस के खाने, शुद्धता, स्वच्छता के संबंध में नियमित निरीक्षण छात्रावास मेस समिति द्वारा किया जायेगा और यह भी देखा जाएगा कि सभी नियम एवं शर्तें मेस संचालक द्वारा सही तरीके से निभाई जा रही है या नहीं। मेस के खाने, शुद्धता एवं स्वच्छता से संबंधित कोई भी अनियमितता होने पर पूरी जिम्मेवारी मेस संचालक की होगी।
02. छात्रावास मेस समिति और मेस संचालक आपस में मेनू निर्धारित करेंगे एवं समय और खाने का मेनू परिवर्तन भी कर सकते है।
03. छात्रावास मेस संचालक को छात्रावास की छात्राओं द्वारा सही समय पर पैसों का भुगतान कराना छात्रावास प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।
04. किसी भी असहमति की स्थिति में छात्रावास मेस समिति और छात्रावास मेस संचालक की एक संयुक्त बैठक छात्रावास प्रबंधन द्वारा किया जाएगा, जिसमें छात्रावास प्रबंधन का निर्णय ही पूर्णरूपेण माना जाएगा। छात्रावास प्रबंधन को अधिकार होगा कि वह (छात्रावास प्रबंधन) मेस संचालन को 24 घण्टे का नोटिस देकर मेस बंद करवा सकता है।
05. छात्रावास परिसर के अन्दर में मेस संचालक के किसी भी पुरूष कर्मचारी को रात्रि में रूकने की अनुमति नहीं रहेगी। मेस के सारे कर्मचारियों को अपने पास मेस मैनेजर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ परिचय पत्र रखना होगा और उन्हें अपनी ऐंट्री छात्रावास के मेन गेट पर रखे हुए पंजी में छात्रावास के नियमानुसार दर्ज करना होगा।
06. मेस संचालक को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि छात्रावास में संचालित की जाने वाली मेस में सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को लागू रखे। उनके नियमों का उल्लंघन होने पर पूरा दायित्व मेस संचालक को जाएगा।
07. छात्रावास में मेस संचालत करने के लिए रसोई, पानी एवं बिजली छात्रावास प्रबंधन द्वारा प्रदत्त किया जाएगा।
08. मेस संचालक द्वारा छात्रावास में रहने वाली सभी मैट्रन को भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
09. छात्रावास अधीक्षिका की लिखित अनुमति के बिना मेस बंद नहीं किया जाएगा।
10. किसी भी परिस्थिति में छात्रावास अधीक्षिका की लिखित अनुमति के बिना किसी भी छात्रा का खाना बंद नहीं किया जाएगा।
11. यदि छात्राओं द्वारा छात्रावास से प्रदत्त बर्तन खाने के लिए उपयोग किया जाएगा तो उसके खाने के बाद जिम्मेदारी मेस संचालक की होगी। बर्तन धुलवाने की जिम्मेदारी मेस मैनेजर की होगी।
12. मेस संचालक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार एक लाख रूपये सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी।
13. मेस संचालक द्वारा मेस बंद करने की स्थिति में एक महीने पूर्व लिखित सूचना छात्रावास प्रबंधन को देना होगा, तत्पश्चात् उनकी सिक्योरिटी राशि वापस की जाएगी।
14. छात्राओं द्वारा महीने 01 से 07 तारिख के बीच में मेस अग्रिम राशि मेस संचालक को जमा करनी होगी।
15. एक महीने का अंतिम भुगतान छात्राओं द्वारा मेस संचालक को देय होगा।

16. प्रति छात्रा जो मेस की सदस्य है उसको न्यूनतम रूपये 2,000/– अनिवार्य रूप से देय होगा। अनुपस्थित रहने पर छात्राओं द्वारा मेस फिस का भुगतान मेस संचालक को मेस संचालक समिति के नियमानुसार होगा।
17. खाना पकाने की गुणवत्ता के साथ ही छात्राओं को खाना परोसने की स्वच्छता एवं गुणवत्ता मेस संचालक को सुनिश्चित करनी होगी। बेन मेयर का उपयोग करने वाले मेस संचालक को प्राथमिकता दी जावेगी।
18. ऐसे मेस संचालक जिन्हें छात्राओं का छात्रावास चलाने का अनुभव हो तथा उनकी सेवा रिकार्ड (छात्राओं का Feedback) लगातार अच्छा रहा हो तो प्राथमिकता दी जावेगी।

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
Koni, Bilaspur (C.G.) 495009; Sebsite : www.ggu.ac.in

APPLICATION FORM EOI FOR RUNNING HOSTEL MESS AT GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA

1.	Name of the Agency/Caterer फर्म का नाम	
2.	Name of Proprietor of the Agency/Caterer फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
3.	Complete correspondence address with Mobile no. पता तथा टेलीफोन नम्बर	
4.	Registration No. & date issued by appropriate authorities (if any, please enclose copy of certificate of registration).	
5.	Do you possess trade license issued by Competent Authorities? If so, please enclose a copy.	
6.	PAN/VAT/Service Tax Registration No. (If any, please enclose copies)	
7.	Name & address of the person responsible for management with mobile number पता तथा टेलीफोन नम्बर	
8.	Details of experience in running Catering/Mess/Hotel in last 3 years (please enclose proof)	
9.	Average annual turnover.	

10.	Nos. of employees proposed to be engaged/deployed if the contract is awarded.	
11.	Any other information/documents which may help in assessing your abilities.	
12.	Details of the processing fee submitted : a) DD. No. b) DD. Date c) Issuing bank & branch d) Amount	
13.	**DECLARATION** a) All the information furnished by me/us here above in correct to the best of my Knowledge and belief. b) I have no objection if enquiries are made about the work listed by me. c) I agree that the decision of University in selection of agency/caterer will be final and binding to me. d) I have read the instructions/terms & conditions in EOI document and I understand that if any false information is detected at a later date the contract/empanelment shall be cancelled at the discretion of the University. **SIGNATURE OF APPLICANT** Place : Date : **NAME & DESIGNATION** **SEAL OF AGENCY/CATERER**	

LIST OF ENCLOSERS :

a)
b)
c)
d)
e)
f)